न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/15/2014	01–12–2014	24–10–2019

01– गणपत राम पुत्र प्रभा राम जाति मीना निवासी ग्राम बंडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

01– सूरजा पुत्र श्योनाथ जाति मीना निवासी ग्राम बंडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर **(मृतक)**

1/1 रामकुंवार
1/2 रामकिशन पुत्रान् स्व0 श्री सूरजा
1/3 रामप्यारी
1/4 शारदा
1/5 भगवती
1/6 पांची
1/7 इन्द्रो
1/8 कृपाबाई
1/9 लाली पुत्रीयान् स्व0 श्री सूरजा जाति मीना निवासी ग्राम बंडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेन्ट्स

02– हरसहाय पुत्र श्योनाथ
03– मोहनलाल पुत्र लालाराम
04– रामप्रताप पुत्र प्रभाराम
05– रामकरण पुत्र प्रभाराम
06– सीताराम पुत्र प्रभाराम
07– विक्रम सिंह पुत्र प्रभाराम जाति मीना निवासी ग्राम बंडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–तरतीबी रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2010 वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर जिसके आधार पर दि0 19.07.2010 सनद् जारी।

उपस्थितः–
01–श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलांट
02–श्री सोहनलाल शर्मा –वकील असल रेस्पो0

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 22.06.2010 वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर जिसके द्वारा सनद् दिनांक 19.07.2010 को जारी किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांट को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

दिनांक 10.05.2011 को हुई। नकल दि. 20.05.2011 को प्राप्त कर बिना देरी के अंदर मियाद अपील पेश की गई। आराजी खसरा नम्बर 276/0.68, 275/0.63, 114/0.52, 27/0.59, 277/0.62, 30/0.18, 57/0.30, 58/0.29, 59/0.12, 101/0.26, 103/0.76, 230/0.33, 282/0.69 एवं 628/45/0.85 है0 वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर में स्थित है। उक्त आराजी का 1/2 हिस्से की खातेदारी असल रैस्पो0 को जारी की गई है। उक्त आराजी अपीलांट व तरतीबी रैस्पो0 के पूर्वजों की कब्जे काश्त की आराजी थी। उनकी मृत्यु के बाद समस्त वारिस अपने-अपने समान हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी मौके पर काबिज काश्त है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल असल रैस्पो0 के नाम सनद् पट्टा जारी कर कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके के विपरित आदेश पारित कर दिया गया है। जबकि मौके पर सभी पक्षकारों का हिस्से अनुसार काश्त है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्त है। असल रेस्पो0 सूरजा पुत्र श्योनाथ ने मौके के विपरित विधि विरूद्ध तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प सोरखांकलां में आवंटन की कार्यवाही की गई। अपीलांट एवं तरतीबी रैस्पो0 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार उक्त आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरित होने के कारण काबिल खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार मुण्डावर का आदेश दि. 22.06.2010 जिसके आधार पर सनद् खातेदार दि. 19.07.2010 जारी की गई है, को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील असल रैस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा असल रैस्पो0 के नाम गैर खातेदारी होने के कारण असल रैस्पो0 द्वारा अपनी गैरखातेदारी आराजी का सनद् प्राप्त करने हेतु पत्रावली तहसीलदार कार्यालय में पेश की गई। असल रैस्पो0 को लोकल टीनेंट की हैसियत से आवंटन किया गया है। उक्त संबंध में पुराना रिकॉर्ड भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट आदि करवाकर प्रकियानुसार सनद् जारी की गई है। उक्त संबंध में पैतृक आराजी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 40 वर्ष के रिकॉर्ड अनुसार असल रैस्पो0 [illegible] कब्जा है। उक्त आराजी असल रैस्पो0 को नियमानुसार कीमत व ब्याज जमा करवाकर सनद् जारी की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली व रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2016 का अवलोकन किया गया। जिसमें मौका कमिश्नर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा विवादित आराजीयात् में अपीलांट के वारिसान का भी कब्जा दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पूर्व मौका रिपोर्ट दिनांक 12.04.2010 व वर्तमान मौका रिपोर्ट दि0 14.12.2016 विरोधाभाशी है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पुनः मौका व रिकॉर्ड की जांच कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ नियमानुसार पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible] तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)